# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

**राजस्व अपील संख्या 596/2017**

| अपीलाण्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स |
|---|---|---|
| मन्जू गांधी पुत्री बद्रीनारायण गांधी पत्नी कैलाश चन्द राठी, निवासी घेवडा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर, हाल निवासी–सूरसागर, बाईपास रिडिया फांटा, जोधपुर | | 1. फुसाराम पुत्र पीरदान<br>2. भंवरलाल पुत्र जयनारायण<br>3. दिलीप पुत्र जयनारायण<br>(सभी जाति सोनी माहेश्वरी, निवासी बापीणी, हाल निवासी ओसियां, तह0 ओसिया, जोधपुर)<br>4. मगीदेवी पुत्री जयनारायण पत्नी झुमरलाल के कायम मुकाम – 4/1 प्रकाश राठी पुत्र झुमरलाल जाति माहेश्वरी, निवासी डोली, हाल निवासी राठी भवन, शनिश्चर जी के थान के पास, बगतावरमल जी का बाग, जोधपुर<br>5. कमलादेवी पुत्री जयनारायण पत्नी कुन्दनमल गांधी, जाति माहेश्वरी, निवासी खेतानाडी, कृषि मण्डी के पास जोधपुर<br>6. बसन्तीदेवी पुत्री जयनारायण पत्नी दाउलाल तापडिया, जाति माहेश्वरी, मुख्य बाजार रोड़, बाडमेर<br>7. मनीषा देवी पुत्री जयनारायण पत्नी जसराज राठी, निवासी भीकमकौर, हाल निवासी सी–248, रास्तापेठ, पूना (महाराष्ट्र)<br>8. गुड्डीदेवी पुत्री जयनारायण पत्नी सुनिल राठी, जाति माहेश्वरी, निवासी मथानिया, तह0 तिंवरी, जिला जोधपुर<br>9. रामजोत पुत्री पीरदान पत्नी रामेश्वर चाण्डक, जाति माहेश्वरी, चाण्डक प्रोविजन स्टोर, निवासी जगदलपुर (छतीसगढ)<br>10. नारायणलाल पुत्र बद्रीनारायण<br>11. गोविन्द प्रसाद पुत्र बद्रीनारायण<br>12. जगदीश प्रसाद पुत्र बद्रीनारायण<br>13. दिनेश कुमार पुत्र बद्रीनारायण |

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

(सभी जाति गांधी माहेश्वरी, निवासी घेवडा, तह0 तिवंरी, जिला जोधपुर)

14. खींव कंवर पत्नी जसवंतसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी तिवंरी, तह0 तिवंरी, जिला जोधपुर
15. पप्पू कंवर पत्नी लूणसिंह राजपुरोहित निवासी घेवड़ा, तह0 तिवंरी, जिला जोधपुर
16. सरपंच ग्राम पंचायत बड़ला बासनी, पंचायत समिति तिवंरी, तह0 तिवंरी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 13.07.2016 राजस्व प्रथम अपील संख्या 43/2008 अनवान मन्जू गांधी बनाम फुसाराम वगैरा

उपस्थित–

1. श्री लादूराम पूनिया, वकील अपीलांट
2. श्री जे0 गहलोत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 व 6 से 8
3. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित वकील रेस्पो0 संख्या 14
4. शेष रेस्पो0 बावजूद सूचना व नोटिस के अनुपस्थित

## निर्णय

दिनांक 23 .07.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 43/2008 अनवान मन्जू गांधी बनाम फुसाराम वगैरा में "राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मथानिया" में पारित आदेश दिनांक 13.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील ओसियां स्थित ग्राम बडला बासनी के खसरा नं0 177/3 रकबा 40 बीघा खातेदार पीरदान पुत्र हजारीमल के नाम दर्ज थी तथा खसरा नं0 177/2 रकबा 40 बीघा खातेदार रामकंवरी पत्नी पीरदान के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जो खातेदार पीरदान व रामकंवरी के फौत होने के बाद उनके दो पुत्रों रेस्पो0 सं0 1–फुसाराम तथा रेस्पो0सं0 2 से 8 के पिता जयनारायण के नाम सरपंच ग्राम पंचायत बडला बासनी द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 970 दिनांक 02.10.1999 दर्ज की गई। उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

(सभी जाति गांधी माहेश्वरी, निवासी घेवडा, तह0 तिवंरी, जिला जोधपुर)

14. खींव कंवर पत्नी जसवंतसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी तिवंरी, तह0 तिवंरी, जिला जोधपुर
15. पप्पू कंवर पत्नी लूणसिंह राजपुरोहित निवासी घेवड़ा, तह0 तिवंरी, जिला जोधपुर
16. सरपंच ग्राम पंचायत बड़ला बासनी, पंचायत समिति तिवंरी, तह0 तिवंरी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 13.07.2016 राजस्व प्रथम अपील संख्या 43/2008 अनवान मन्जू गांधी बनाम फुसाराम वगैरा

उपस्थित–

1. श्री लादूराम पूनिया, वकील अपीलांट
2. श्री जे0 गहलोत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 व 6 से 8
3. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित वकील रेस्पो0 संख्या 14
4. शेष रेस्पो0 बावजूद सूचना व नोटिस के अनुपस्थित

## निर्णय

दिनांक 23 .07.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 43/2008 अनवान मन्जू गांधी बनाम फुसाराम वगैरा में ''राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मथानिया'' में पारित आदेश दिनांक 13.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील ओसियां स्थित ग्राम बडला बासनी के खसरा नं0 177/3 रकबा 40 बीघा खातेदार पीरदान पुत्र हजारीमल के नाम दर्ज थी तथा खसरा नं0 177/2 रकबा 40 बीघा खातेदार रामकंवरी पत्नी पीरदान के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जो खातेदार पीरदान व रामकंवरी के फौत होने के बाद उनके दो पुत्रों रेस्पो0 सं0 1–फुसाराम तथा रेस्पो0सं0 2 से 8 के पिता जयनारायण के नाम सरपंच ग्राम पंचायत बडला बासनी द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 970 दिनांक 02.10.1999 दर्ज की गई। उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध अपीलांट ने राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील सं0 43/2008 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2016 द्वारा अपील मियाद बाधित होने से खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसील ओसियां स्थित ग्राम बड़ला बासनी वर्तमान में तहसील तिवंरी के खसरा नं0 177/3 रकबा 40 बीघा अपीलार्थीया के नाना स्व0 पीरदान पुत्र हजारीमल तथा खसरा नं0 177/2 जिसके सही खसरा नं0 177/1 रकबा 40 बीघा अपीलार्थीया की नानी स्व0 रामकंवरी पत्नी पीरदान के नाम खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार पीरदान व उनकी पत्नी रामकंवरी का देहांत होने पर अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण वं0 970 केवल पीरदान के पुत्र फुसाराम व जयनारायण के नाम सरपंच ग्रा0पं0 बडलाबासनी द्वारा दिनांक 02.10.1999 को पारित किया गया। जिसमें मृतक खातेदार पीरदान व रामकंवरी की लड़कियां राधादेवी व रामजोत के नाम दर्ज नही किये गये। उक्त ना0क0 विधिविरूद्ध व मृतक खातेदार के वारिसान की जांच किए बिना ही दर्ज कर दिया गया। जिसे निरस्त करवाने हेतु अपीलांट ने अपील के साथ धारा 05 भारतीय परिसीमा अधि0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे विद्वान उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने लोक अदालत कैम्प मथानिया में ले जाकर म्याद बिन्दु पर पर खारिज करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। अपील दर्ज करते समय म्याद के एतराज को सुरक्षित नही रखा गया। जिससे अपील मियाद शुमार हो चुकी थी, इसके बाद म्याद के आधार पर अपील निरस्त नही की जा सकती है। इसके अलावा अपीलाधीन ना0क0 मृतक खातेदार के वारिसान की जांच किए बिना ही पारित कर दिया गया। इस प्रकार के मामलों में ज्ञान की तारीख से ही म्याद लागू होती है। स्व0 पीरदान व रामकंवरी के देहांत के समय उनके पुत्र फुसाराम व जयनारायण तथा पुत्रियां राधादेवी व रामजोत उत्तराधिकारी के रूप में मौजूद थी।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध अपीलांट ने राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील सं0 43/2008 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2016 द्वारा अपील मियाद बाधित होने से खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसील ओसियां स्थित ग्राम बड़ला बासनी वर्तमान में तहसील तिवंरी के खसरा नं0 177/3 रकबा 40 बीघा अपीलार्थीया के नाना स्व0 पीरदान पुत्र हजारीमल तथा खसरा नं0 177/2 जिसके सही खसरा नं0 177/1 रकबा 40 बीघा अपीलार्थीया की नानी स्व0 रामकंवरी पत्नी पीरदान के नाम खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार पीरदान व उनकी पत्नी रामकंवरी का देहांत होने पर अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण वं0 970 केवल पीरदान के पुत्र फुसाराम व जयनारायण के नाम सरपंच ग्रा0पं0 बडलाबासनी द्वारा दिनांक 02.10.1999 को पारित किया गया। जिसमें मृतक खातेदार पीरदान व रामकंवरी की लड़कियां राधादेवी व रामजोत के नाम दर्ज नही किये गये। उक्त ना0क0 विधिविरूद्ध व मृतक खातेदार के वारिसान की जांच किए बिना ही दर्ज कर दिया गया। जिसे निरस्त करवाने हेतु अपीलांट ने अपील के साथ धारा 05 भारतीय परिसीमा अधि0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे विद्वान उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने लोक अदालत कैम्प मथानिया में ले जाकर म्याद बिन्दु पर पर खारिज करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। अपील दर्ज करते समय म्याद के एतराज को सुरक्षित नही रखा गया। जिससे अपील मियाद शुमार हो चुकी थी, इसके बाद म्याद के आधार पर अपील निरस्त नही की जा सकती है। इसके अलावा अपीलाधीन ना0क0 मृतक खातेदार के वारिसान की जांच किए बिना ही पारित कर दिया गया। इस प्रकार के मामलों में ज्ञान की तारीख से ही म्याद लागू होती है। स्व0 पीरदान व रामकंवरी के देहांत के समय उनके पुत्र फुसाराम व जयनारायण तथा पुत्रियां राधादेवी व रामजोत उत्तराधिकारी के रूप में मौजूद थी।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

इसके बाद दिनांक 5.8.05 को राधादेवी का भी देहांत हो गया। राधादेवी के एक पुत्री अपीलार्थीया मन्जू तथा 4 पुत्र प्रत्यर्थी सं0 10 से 13 प्रथम श्रेणी के वारिस है। खातेदारान की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि में उत्तराधिकारी हक अपीलार्थीया की माता स्व0 राधादेवी तथा प्रत्यर्थी सं0 1 फुसाराम तथा 2 से 8 के पूर्वज जयनारायण तथा 9 रामजोत को बराबर हिस्से में प्राप्त हुआ। अपीलार्थीया मंजू अपने नाना–नानी व माता के देहांत के बाद विरासत का ना0क0 अपने नाम से करवाने की अधिकारिणी है। उक्त स्वीकृत ना0क0 के आधार पर प्रत्यर्थी सं0 1 तथा 2 से 9 के पूर्वज जयनारायण को संपूर्ण भूमि पर कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है, अतः होने उनके द्वारा उक्त भूमि के बेचान के आधार पर पश्चातवर्ती दर्ज ना0क0 स्वतः प्रभाव शून्य व निरस्त योग्य है। अपीलाधीन जैर ना0क0 बिना नोटिस व सुनवाई के पारित किए जाने से आरआरडी 1994 पेज नं0 605–07 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार के मामले में मियाद लागू नही मानी गई है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.7.16 तथा ना0क0सं0 970 स्वीकृत दिनांक 2.10.99 तथा उसके पश्चातवर्ती समस्त ना0क0 को निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील करीब 11 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी। अपीलांट मंजू गांधी ने स्वयं को स्व0 पीरदान की दोहिती बताते हुए उक्त अपील पेश की है एवं दोहिती का हक हिस्सा अधिकार उसकी माता राधादेवी के देहान्त के कारण उत्पन्न नही होता है। अपीलांट पीरदान की प्रथम श्रेणी की विधिक उत्तराधिकारी नही थी और न ही है। इस कारण अपील मेन्टेनेबल नही है। मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलंब का कोई ठोस एवं सदभावना पूर्वक कारण प्रस्तुत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी गई। मियाद अधिनियम के तहत धारा 05 के प्रार्थना पत्र में विलंब के ठोस कारणों को उल्लेख करने का प्रावधान है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

स्व0 पीरदान एवं स्व0 रामकंवरी देवी ने दिनांक 23.7.76 को अपीलाधीन भूमि खसरा नं0 177/1 वर्तमान में नये खसरा/बट्टा नम्बर 177/4 एवं 177/6 मोहनलाल पुत्र चिमनाराम जाति माली निवासी मण्डोर से 40–40 बीघा का अलग–अलग जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा खरीद की थी। इस कारण स्वअर्जित आय से खरीद की गई सम्पति में अपीलांट का कोई हक हिस्सा, उसकी मां राधादेवी के स्वर्गवास होने के कारण उत्पन्न नही हुआ। अपीलांट के पास स्वयं व उसके पिता की खातेदारी की 109 बीघा भूमि है, परंतु बदनियती व लोगों के बहकावे में आकर अपील प्रस्तुत की गई। इसके अलावा अपीलाधीन खसरान की भूमि के खातेदार प्रत्यर्थी सं0 1–फुसाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि का पंजीबद्ध बेचान दिनांक 14.10.11 को प्रत्यर्थी सं0 14–खीवकंवर व 15–पप्पूकंवर को कर दिया गया है। खातेदार जयनारायण की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की भूमि प्रत्यर्थी सं0 2–भंवरलाल व 3–दिलीप कुमार के नाम जरिये ना0क0सं0 14 दिनांक 5.11.11 दर्ज हुई। प्रत्यर्थी सं0 2 व 3 ने भी जरिये पंजीबद्ध बेचान दिनांक 14.10.11 द्वारा उक्त खसरा नं0 177/4 व 177/6 की संयुक्त खातेदारी भूमि में अपने 1/2 हिस्से की भूमि प्रभावित रकबा 40 बीघा प्रत्यर्थी सं0 14–खीवकंवर व 15–पप्पूकंवर को कर दिया गया। जो कि उक्त भूमि के सदभाविक क्रेता है व पंजीबद्ध विक्रय के आधार पर पारित ना0क0 अस्वीकृत करने की शक्तियां राजस्व न्यायालय को नही है। अतः अपील सारहीन व मियाद बाधित होने से खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह पाया जाता है कि मृतक खातेदार पीरदान व रामकंवरी का फौतेदगी नामान्तकरण सं0 970 दिनांक 02.10.1999 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से विधिसम्मत नही है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में माननीय न्यायालयों द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां अपील गुणावगुण पर सारवान पायी जावे, वहां मियाद के बिन्दु को गौण समझा जाकर प्रकरण गुणावगुण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पर निर्णित किया जावे तथा अवैधानिक नामान्तरकरण के विरूद्ध मियाद बाधित नही है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को कण्डोन किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2016 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दोनो पक्षों की सुनवाई कर, गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23. जुलाई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

23.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर